पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 14283 /अका./का.प./2013 रायपुर, दिनांक : 30/10/2013

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25.10.2013 को अपराह्न 3:00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए–

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. ए.के. गुप्ता	–	सदस्य
3.	प्रो. एस.के. शर्मा	–	सदस्य
4.	प्रो. बी.के. शर्मा	–	सदस्य
5.	प्रो. मिताश्री मित्रा	–	सदस्य
6.	डॉ. दीपक कारकून	–	सदस्य
7.	डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला	–	सदस्य
8.	डॉ. एम.आई. मेमन	–	सदस्य
9.	डॉ. आर. बाला सुब्रामनियन	–	सदस्य
10.	श्री एस.के. चक्रवर्ती	–	सदस्य
11.	श्री ललित सुरजन	–	सदस्य
12.	श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्तः

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 20.09.2013 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय सम्पुष्टि की गई ।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 20.09.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

निर्णय निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 20.09.2013 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई । विगत तीन वर्षों में आयोजित कार्यपरिषद् के जिस निर्णय का पालन किया जाना शेष है, की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

03. पुस्तकों एवं विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए आमंत्रित निविदाओं के अनुशंसित दरों पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि पुस्तकों एवं विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए आमंत्रित निविदा के पश्चात् विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति के द्वारा अनुशंसित दर का अनुमोदन किया गया।

04. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शासन के नियमानुसार 90 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र.430/एफ–2013–04–00416/वित्त/नियम/4 नया रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2013 के अनुसार शिक्षकों, अधिकारियों एव कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2013 से 90 प्रतिशत के दर से महंगाई भत्ता छत्तीसगढ़ चुनाव आयोग के अनुमोदन पश्चात् प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

05. सोमनी महाविद्यालय, सोमनी, जिला–राजनांदगांव में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि सोमनी महाविद्यालय, सोमनी, जिला–राजनांदगांव में प्राचार्य के पद के लिये गठित चयन समिति के अनुशंसा अनुसार डॉ. आरती तिवारी के नाम का अनुमोदन किया गया । महाविद्यालय से प्राचार्य का बायोडाटा प्राप्त कर कुलपति से अनुमोदन के पश्चात् जानकारी दिया जाए।

पूरक सूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2013 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

02. जैविकी अध्ययनशाला पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को **DST/FIST** के अंतर्गत उपकरण मद में प्राप्त राशि रूपये 37 लाख में से उपकरण क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि जैविकी अध्ययनशाला को **DST/FIST** के अंतर्गत उपकरण मद से कय नियम के अंर्तगत **DPC/CPC** की अनुशंसा को **Mili Q Water Purification System** एवं **Primium Uptight Freezer Model U410 14.5 CU.ft 230V 50h3** क्रय करने की प्रशासनिक अनुमति दी गई।

03. श्री नंद कुमार सिन्हा पटवारी की संविदा अवधि वृद्धि करने के संबंध में विचार करना।

निर्णय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। संविदा नियुक्ति, चुनाव आचार संहिता हटने के बाद किया जाए।

04. डॉ. बी. कामेश्वर राव, प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला के द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक 05.09.2013 पर विचार करना।

निर्णय निर्णय लिया गया कि डॉ. बी. कामेश्वर राव, प्रोफेसर, स्वामी विवेकानंद स्मृति तुलनात्मक धर्म, दर्शन एवं योग अध्ययनशाला को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र 28 भरकर जमा करने हेतु निर्देशित किया जाए।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01 भारतीय विश्वविद्यालय संघ के जोनल बैठक दिनांक 04 एवं 05 दिसबंर, 2013 को पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित है, जिसमें सेन्ट्रल जोन के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय के 78 कुलपति भाग लेंगे, जिसकी सूचना कार्यपरिषद् की बैठक में दी गई।

02 विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व वित्तीय वर्ष तक प्रदान किये गये समस्त प्रकार के अग्रिमों के लिये संबंधितों को हिसाब जमा करने हेतु सूचित किया जाए। हिसाब जमा नहीं करने की स्थिति में, वेतन से कटौती किया जाए। परीक्षा अग्रिम के हिसाब जमा करने हेतु समस्त संबंधित प्राचार्यों को पत्र लिखा जाए। निर्धारित तिथि तक हिसाब जमा करने की स्थिति में ऐसे महाविद्यालयों की सूची शासन को भेजी जाए। समस्त कार्यवाही दिसंबर तक पूरी कर ली जाए।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 14284 /अका./का.प./**2013** रायपुर, दिनांक : 30 /**10**/**2013**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)